आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्र वाद सं 6/15	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
13/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **शशि भूषण सिंह, पिता स्व0 चन्द्रदेव सिंह, ग्राम–भगवतनुपर, थाना–तरैया, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5565/गो0 17.12.14 के द्वारा आवेदक शशि भूषण सिंह, पिता– स्व0 चन्द्रदेव सिंह, ग्राम–भगवतपुर, थाना–तरैया, जिला–सारण का रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि इनके निवास स्थान से लगभग डेढ़ किलोमीटर पूरब अमनौर–तरैया मुख्य मार्ग पर पचौड़र बाजार है, जहाँ इनकी निजी जमीन में अपनी दूकानें हैं, जिसमें से एक इनका अपना है तथा शेष दूकाने किराए पर है। इस क्षेत्र में माओवादी गतिविधियाँ तेज की गयी हैं। कुछ दिन पहले माओवादियों के द्वारा पचौड़र बाजार को बंद करने की घोषणा की गयी थी एवं इससे संबंधित पोस्टर भी लगाया गया था। स्थानीय पुलिस की मदद करते हुए अन्य निवासियों के साथ इनके द्वारा माओवादियों का विरोध करते हुए अपनी दूकानों को खोलकर रखा गया। उस दिन से इन्हें माओवादियों के द्वारा धमकी दी जा रही है और इनके जानमाल पर खतरे की आशंका व्याप्त हो गयी है।	

इससे संबंधित प्रतिवेदन थानाध्यक्ष के द्वारा भी दिया गया है। अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए इनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन को जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, तरैया के ज्ञापांक डी.आर. 493 दिनांक 14.6.09, डी.आर 1035 दिनांक 10.7.13, डी.आर. 2050 दिनांक 11.12.14 एवं डी.आर. 33 दिनांक 5.1.15, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक डी.आर. 622 दिनांक 30.6.09 एवं पत्रांक 26 दिनांक 7.1.15 अंचलाधिकारी, तरैया के पत्रांक 236 दिनांक 14.7.09 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 358/सी. दिनांक 22.7.09 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5565/गो० दिनांक 17.12.14 एवं पत्रांक 186/गो० दिनांक 9.1.15 के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार, आवेदक पुलिस के सहयोगी हैं, जिसके कारण इनके जानमाल पर हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास थाना अभिलेख में दर्ज नहीं है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रेषित किया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन

थानाध्यक्ष, तरैया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11015/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक शशि भूषण सिंह, पिता- स्व0 चन्द्रदेव सिंह, ग्राम-भगवतपुर, थाना-तरैया, जिला-सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 10 [illegible] दिनांक 17/1/15

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण, छपरा।

17/1/15